

certified copy of correction slip of M.C No- 763/14-15, order dated- 04.04.15

कार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयतों) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखाने वाला शुद्ध प

जिला- देवघर अनुमण्डल- देवघर अंचल- देवघर हल्का- 114 • इस्टेट का नाम- भागलपुर

क्रमांक	नामान्तरण क्रम संख्या । (पंजी 27 में)	गांव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण में सम्बन्धित अभिप्राति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करने वाला अधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है- विक्री, दान, विनियम, उत्तराधिकार या बंटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा ब्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को शुद्ध की गयी	अध्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बिरसापुर	देवघर 400	51000 38 3493 SP398 के	अंचल अधिकारी देवघर आदेश दिनांक - 04.04.15	पारिवारिक बंटवारा हल्की	पूर्व जमा रैयत- 111 (भारी) रैयत ज० नं०- 38/3493 दाग नं०- 398 कुल रकवा- लगान- 26.50 नई होल्डिंग में दर्ज किये जानेवाले रैयत का नाम- श्री प्रेम कुमार खरिज पिता/पति- श्री प्रेमचंद राम खरिज पता- 600- बिरसापुर 200 + 100- देवघर दाखिल-खारिज की जानेवाली जमीन का रकवा- 12171 काफिल वार्षिक लगान- 6.50 + 43.50 = 50.00 अलावे सेस वसूलनीय। हल्का कर्मचारी आदेश का अनुपालन करें।		V-1 P-107

NOTARY PUBLIC
GOVT. OF
JHARKHAND
DEPARTMENT OF
REVENUE
ATTESTED
63
15

10 RS. COURT FEE INDIA
10 RS. COURT FEE INDIA
10 RS. COURT FEE INDIA

प्रतिलिपि कर्मचारी, 80 रु० की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

नकल किया मिलान किया

11.4.15

11.4.15

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि
11.4.15
प्रधान सहायक
जंघा कार्यालय, देवघर
1872 के अधिनियम 1 की धारा
76 के अन्तर् अधिकृत ।

अंचल अधिकारी